# संयुक्त संचालक उद्यान एवं प्रक्षैत्र वानिकी

**संभाग भोपाल**
**पता :- 12 दफ्तर पी.डब्ल्यू. डी. शेड जवाहर चौक भोपाल.............**
**फोन न. 07552770889 फैक्स नं. 07552770889.....**
**ई-मेल : .. jdhbhopal@gmail.com .....**

**रबी 2015-16 में प्रमाणित राज्य मसाला क्षेत्र विस्तार बीजों के क्रय हेतु**
**अल्प कालिन निविदा सूचना :-**

वर्ष 2015-16 राज्य मसाला क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत प्रमाणित राज्य मसाला क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत जिसकी किसमें भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) हो जिसमें कि धनिंया प्रमाणित बीज मात्रा 465.60 क्विंटल एवं लहसुन प्रमाणित बीज मात्रा 5746.20 क्विंटल क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता उपरोक्त प्रमाणित बीजों मे से किसी भी एक फसल की उपलब्धता मात्रा हेतु एवं समस्त बीज की उपलब्धता हेतु भी निविदा प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जो कि विभाग के नियम व शर्तो को पूर्ण करता हो। उपरोक्त उल्लैखित मात्रा में कमी या ज्यादा की जा सकती है।

निविदा फार्म नियम व शर्तो सहित 1000 रुपये के बैंक ड्राफ्ट जो कि मांग अनुसार संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षैत्र वानिकी ,भोपाल संभाग भोपाल... के नाम से देय हो अथवा नकद भुगंतान कर कार्यालयीन समय पर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 09.11.2015 को समय दोपहर 1:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। उक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी। निविदा की समस्त शर्त निविदा फार्म में उल्लेखित की गई है तथा निविदा फार्म विभाग की वेबसाईट .**www.mphorticulture.gov.in** से भी डाऊनलोड की जा सकती है।

संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी , भोपाल संभाग भोपाल किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
भोपाल संभाग भोपाल

## प्रमाणित बीजों की प्रदायगी हेतु नियम व शर्ते निम्नानुसार है।

1. प्रमाणित राशि रुपये 1000/- का बैंक ड्रफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षैत्र वानिकी संभाग भोपाल के नाम से देय होगा जो कि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अमानत राशि के आभाव में निविदा अमान्य मानी जावेगी।
2. निविदाकारों की जिन बीजों की दरें न्यूनतम प्राप्त होंगी, समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात निविदाकर्ता को अनुबंा के समय उन बीजों के अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जावेगे तो उनके द्वारा प्रस्तुत दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. उपरोक्त बीजों की दरें F.O.R. जिला कार्यालय पहुॅचकर प्रदायगी की रहेगी। अलग से कोई भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
4. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम बीज प्रमाण-पत्रों का विभाग द्वारा संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था से सत्यापन कराया जावेगा उसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5. जो किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) है उन्हीं फसलों/किस्मों के प्रमाणित बीज क्रय किये जायेंगे।
6. न्यूनतम दरें फसलवार मान्य की जावेगी।
7. जिन निविदाकारों की प्रथम न्यूनतम दरें प्राप्त होंगी, यदि उनके द्वारा निविदा में चाही गई पूर्ण मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जावेगी तो उस स्थिति में द्वितीय,तृतीय व अन्य निविदाकार से उनकी दरों पर शेष मात्रा की पूर्ति करायी जावेगी। जिस हेतु प्रथम या द्वितीय न्यूनतम दरों वाले निविदाकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
8. यदि प्रदाय किये गये बीजों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी जिले या किसान से कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि जांच में सही पायी जाती है तो उसका निराकरण स्वयं प्रादायकर्ता को करना होगा।
9. प्रदाय किये जाने वाले बीजों की राशि का भुगतान संबंधित जिलों के द्वारा अधिकतम 120 दिवस में कर दिया जावेगा।
10. जिन निविदाकारों की दरे अनुमोदित की जायेगी उन्हे शासकीय कार्य दिवस में तीन दिन के भीतर प्रदाय की जाने वाली मात्रा का अनुमोदित दरों के मान से 3 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 2.00लाख अग्रिम अमानत राशि के रुप में जमा करनी होगी। जो कि बाद में बीजों की आपूर्ति के पश्चात् प्रदायक को बिना ब्याज के प्रदायगी दिनांक से 120 दिवस में वापस कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा की गई राशि को उसी 3 प्रतिशत राशि में समायोजित कर मान्य किया जायेगा।

11. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर केवल रुपये प्रति कि0ग्रा0में प्रस्तुत की जावेगी।

12. प्रस्तुत निविदा में सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर आवश्यक रहेंगे।

13. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में दर अंको में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दो में दी गई दर को ही मान्य किया जावेगा।

14. 100 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र परिशिष्ट-1 के अनुसार दिया जाना होगा जो कि नोटरी द्वारा नोटराइड कराकर देना होगा।

15. निविदाओं में दी गई प्रमाणित बीजों की मात्रा अनुमानित है। जो कि निविदा खुलने के पश्चाम समिति द्वारा दारों के अनुमोदन के पश्चात तथा निविदा में उपलब्ध प्रमाणित बीजों की मात्रा के आधार पर अंतिम मॉग निश्चित की जायेगी।

16. जिन लॉटो के बीजों की प्रदायगी की जावेगी उन बीजों की मूल थैलियों से निकाले गए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किये गये मूल टेग अनिवार्य रुप से संभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा।

17. बीजों की प्रदायगी आदेश दिनांक से 20 दिवस के भीतर अनिवार्य रुप से पूर्ण करनी होगी।

18. यदि प्रदायक के द्वारा आदेशित मात्रा के अनुसार बीज नहीं प्रादाय किया जावेगा । तो जो अमानत राशि विभाग के पास अग्रिम राशि के रुप में जमा होगी, उसे विभाग राजसात करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा ऐसे प्रदायकों को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

19. प्रदाय की जाने वाले बीजों की फसलवार एवं किस्मवार मात्रा का पूर्ण विवरण निविदाकर्ता को निविदा में स्पष्ट रुप से देना होगा।

20. निविदाकर्ता निविदा में दी गई बीजों की मात्रा में से समस्त फसलों के बीजों की मात्रा हेतु अथवा किसी भी एक बीज की कितनी ही मात्रा हेतु निविदा शर्तो के अनुसार निविदा में प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा।

21. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संभाग ..भोपाल... को होगा।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र स्थानीय न्यायालय होगा।

23. जिन निविदा कर्ताओं की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जावेगा, उनका अनुबंध 3दिवस के भीतर संबंधित निविदाकर्ता को करना होगा, तथा अनुबंध के साथ सिक्योरिटी राशि जमा कराना होगी।

24. क्रय किये जाने वाले बीजो की मात्रा आवश्यक्ता अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है।

संयुक्त संचालक उद्यान
भोपाल संभाग भोपाल

# कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी
# भोपाल संभाग भोपाल

**Email-jdhbhopal@gmail.com PH. 07552770889**
**पी0डब्ल्यू0डी0शेड 12 दफ्तर जवाहर चौक भोपाल**

क्रमांक / उ0 / भण्डार / निविदा / 2015–16 / 1270 भोपाल, दिनांक 2-11-15

प्रति,

संयुक्त संचालक
जन संपर्क विभाग
वाणगंगा भोपाल

विषयः– रबी 2015–16 में राज्य मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रमाणित धनिंया एवं लहसुन बीजो की व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा प्रकाशन करने बाबत् ।

..........

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी एवं खाद्य प्रस्करण विभाग द्वारा रबी 2015–16 में राज्य मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रमाणित धनिंया एवं लहसुन बीजो की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पत्र के साथ संलग्न अनुसार निविदा प्रकाशित कराई जाना है। कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– निविदा प्रपत्र 4 प्रति में
शर्त सहित

**संयुक्त संचालक उद्यान**
**भोपाल संभाग भोपाल**

क्रमांक / उ0 / भण्डार / निविदा / 2015–16 / 1271 भोपाल, दिनांक 2-11-15

**प्रतिलिपि :–**

संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षैत्र वानिकी म.प्र.भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02 NOV 2015
13853

**संयुक्त संचालक उद्यान**
**भोपाल संभाग भोपाल**